झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ल०सिं० दु० –07/09 रॉंची, दिनांक –

आदेश

श्री सुजीत कुमार पाण्डेय, तत० कनीय अभि०, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–2887 दिनांक 28.05.13 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है –

1 (क) जीतपुर तालाब प्रखण्ड गिरिडीह के साफ्ट रॉक मद में 140% का विचलन किया जाना।

(ख) 945.20 M^3 मिट्टी की मात्रा की प्रविष्टि गलत मंशा से किया जाना।

(ग) उक्त योजना के मिट्टी कार्य मद में रूपये 2,68,826.44 का अत्याधिक एवं अनियमित भुगतान।

(2) उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोप सं० 1(ख) को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्री पाण्डेय द्वारा 945.20 घन मीटर मिट्टी का मापी पुस्त में Forged entry की गई है तथा उक्त प्रविष्टि पर अपने उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है।

(3) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुजीत कुमार पाण्डेय, तत० कनीय अभि० लघु सिंचाई प्रमण्डल गिरिडीह को उक्त प्रमाणित आरोप के सापेक्ष प्रस्तावित निम्न दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी –

(क) निन्दन।

(ख) तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) एक तिहाई राशि की वसूली।

(4) श्री पाण्डेय, तत० कनीय अभि० से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। उनके द्वारा कहा गया है कि 945.20 घन मीटर मिट्टी का 28.80 रू० प्रति घन मीटर की दर से राशि 27,222 रूपये का भुगतान मुझे नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कोई नया तथ्य या साक्ष्य नहीं दिया गया है। श्री पाण्डेय का द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है।

(5) श्री पाण्डेय, तत० कनीय अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया –

(क) निन्दन।

(ख) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) 945.20 घन मीटर मिट्टी का 28.80 रू० प्रति घन मीटर की दर से भुगतान की गई राशि की एक तिहाई वसुली।

(6) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3002 राँची,दिनांक – 07-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री सुजीत कुमार पाण्डेय, तत० कनीय अभि०, लघु सिचाई अनुमण्डल बहरागोड़ा/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinod 06/06/2016

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि०)

F:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx